अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1279(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च , 1994 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 228(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हिन्दू मिशन अस्पताल 36,जी0एस0टी0रोड, मद्रास-600045 द्वारा ताम्बरम में तथा इसके आसपास रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जराचिकित्सा प्रभाग और नेत्र ब्लॉक (प्रत्येक के लिए 7400 वर्ग फुट क्षेत्रफल) बनाकर हिन्दू मिशन अस्पताल का विस्तार करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 10 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 483(अ0)द्वारा कर निर्धारण वष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 55(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 513(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना लागत को 250.00 लाख रूपये से संशोधित करके 500.00 लाख रूपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क)हिन्दू मिशन अस्पताल 36,जी0एस0टी0रोड, मद्रास-600045 द्वारा ताम्बरम में तथा इसके आसपास रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही जराचिकित्सा प्रभाग और नेत्र ब्लॉक (प्रत्येक के लिए 7400 वर्ग फुट क्षेत्रफल) बनाकर हिन्दू मिशन अस्पताल का विस्तार करने की परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है तथा

(ख) दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 228(अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 10 के सामने कालम (4) में धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है इसमें अक्षर, अंक तथा शब्द "250.00 लाख रूपए" के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द "500.00 लाख रूपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 371/2002/फा. सं. एन सी–113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)